संख्या-60/2026-898-001-5-9002-001-3-2026

प्रेषक,

रवि रंजन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 30 मई, 2026

विषय:- SNA स्पर्श व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान सं0-83 पूँजी में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 4871.00 लाख तथा उक्त केन्द्रांश के सापेक्ष देय राज्यांश रू0 3247.33 लाख सहित कुल धनराशि रू0 8118.33 लाख की शासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-प0क0/4-बजट/अनु0-83/एन0एच0एम0/2026-27/117, दिनांक 11.05.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि SNA स्पर्श व्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-83 पूँजी लेखा 4211-परिवार कलयाण पूँजीगत परिव्यय 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, 02-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 4063, 0201-चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण (के.60/रा.40-के.+रा.) 4063-यूपी27, 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश रू0 4871.00 लाख (रूपये अडतालीस करोड इकहत्तर लाख मात्र) तथा उक्त केन्द्रांश के सापेक्ष देय राज्यांश रू0 3247.33 लाख (रूपये बत्तीस करोड सैंतालीस लाख तैंतीस हजार मात्र) सहित कुल धनराशि रू0 8118.33 लाख (रूपये इक्यासी करोड अठ्ठारह लाख तैंतीस हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(3) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 स्वंय संतुष्ट हो लेंगे कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वितीय स्वीकृति पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है तथा धनराशि का आहरण इसके पूर्व नहीं किया गया है।
है।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

(5) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये पर किया जाएगा। उक्त के साथ ही भारत सरकार की प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों में गयी शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

---

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) प्रश्नगत प्रकरण में अवमुक्त की जा रही केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि के लेखाशीर्षक के सम्बन्ध एवं आकड़ों के आंकलन/शुद्धता से महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 स्वंय संतुष्ट हो लेंगे।

(7) अगर प्रश्नगत प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 स्वंय उत्तरदायी होंगे।

(8) केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों/शर्तों/प्रतिबंधो का अनुपालन किये जाने का दायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 81,18,33,000 (रुपये इक्यासी करोड़ अठारह लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4211007890201 चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण (के.60/रा.40-के.+रा.) मानक मद 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-24/दस-2026-27, दिनांक 27 मई, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रवि रंजन
विशेष सचिव।

<u>संख्या-60/2026/898(1)/001-5-9002-001-3-2026, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(प्रथम), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
2. महालेखाकार(द्वितीय), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
3. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
4. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण महानिदेशालय/एन0एच0एम0, लखनऊ।
8. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त संसाधन(वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
10. कम्प्यूटर सेल/समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

आनन्द प्रकाश
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in